अनुसूची सं0–562

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची

जमाबंदी रैयत का नाम (6)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम–129)

आदेश पत्रक–ता0...से...तक

जिला :– राँची, अंचल–नगड़ी, मौजा–पुन्दाग

केस का प्रकार :– विविध वाद (संदिग्ध जमाबंदी) 74/2019–20

B.L.R. Act1950की धारा–4 (h)

Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी, का हस्ताक्षर **Order and Signature of Officer**	**Action Taken on Order With Date**
1	2	3

आदेश

अभिलेख उप स्थापित। उप समाहउपायुक्त, राँची के आदेश ज्ञापांक–19516(ii), दिनांक–01.06.2018 द्वारा राजस्व शाखा से निर्गत आदेशानुसार मौजा–पुन्दाग, थाना सं0–228, खाता सं0–383 के गैरमजरूआ भूमि में कायम सभी जमाबंन्दी को रद्य करने हेतु प्राप्त आदेश के आलोक में **B.L.R. Act1950 की धारा–4 (h)** के तहत कार्रवाई हेतु संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित यह अभिलेख उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार सदर राँची के द्वारा प्राप्त हुआ है । उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार सदर राँची का आदेश एवं अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, नगड़ी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी,नगड़ी राँची के प्रतिवेदनानुसार वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नलिखित है:–

जमाबंदी रैयत का नाम	मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
रामवती पाण्डेय	पुन्दाग	383	483	15ड़ि0

निम्न न्यायालय के आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उपरोक्त भूमि के रैयतीकरण संबंधी कोई भी रजिस्टर्ड पट्टा/हुकुमनामा/बन्दोबस्त परवाना, (2) लगान निर्धारण की प्रति (एम फार्म)/रिर्टन की प्रति, (3) 1955–56 से राजस्व रसीद की प्रति आदि प्राप्त नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि वर्णित भूमि की जमाबन्दी निरस्त करने के लिए 4(h) की कार्रवाई हेतु अभिलेख अनुशंसा के साथ प्रेषित की गई है।

अतः अंचल अधिकारी, नगड़ी एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर, राँची की अनुशंसा के आलोक में वाद ग्रस्त भूमि की जमाबन्दी निरस्त करने के लिए B.L.R.Act 1950की धारा, 4(h) की कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख उपायुक्त, राँची को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
राँची।

अपर समाहर्त्ता
राँची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2021.10.01 14:10:08 +05:30
Location: 192.168.0.4